




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
श्री राम गोपाल पुत्र डा. श्याम लाल का.के.टी.	वा म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	195/2021	GCMS No. 2021/914
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25/11/2021	<p>वादी श्री राम गोपाल पुत्र डा. श्याम लाल जाति लाल निवासी का.के.टी. द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत घरेली में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2076-2077 ग्राम का.के.टी. पटवार मण्डल घरेली के खाता नम्बर 186 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि गोपालपुत्र डा. श्याम लाल दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम राम गोपाल पुत्र डा. श्याम लाल है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 768348128412 मतदाता पहचान पत्र 85725/186/557598 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी घरेली भू.अ.नि. लाल एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	  <p>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> 	

852-854